राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण से भारत में उच्चतर शिक्षा का विकास

चन्दन श्रीवास्तव*

भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण है। इन चुनौतियों एवं जटिलताओं को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' ने बखूबी पहचाना है और उनकी वास्तविक स्थिति को भी स्वीकारा है। इसलिए नीति में उच्चतर शिक्षा की भावी संरचना के नए दृष्टिकोण की व्याख्या की गई है। नई नीति उच्चतर शिक्षा के तंत्र में केवल सुधार ही नहीं, बल्कि बड़े बदलाव के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत लेख में भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास तथा चुनौतियों की एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। साथ ही, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के उच्चतर शिक्षा पर विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की गई है।

किसी राष्ट्र के विकास में उच्चतर शिक्षा की अहम भूमिका होती है। एक राष्ट्र का सामाजिक विकास हो या आर्थिक विकास, उच्चतर शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहाँ सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सशक्त और जागरूक बनाना है, वहीं आर्थिक उन्नति हेतु देश को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर भी ले जाना है। राष्ट्र के लिए ज्ञान निर्माण और नवाचार के उपक्रम में उच्चतर शिक्षा की केंद्रीय भूमिका होती है, जिसके सार्थक विकास का सीधा जुड़ाव राष्ट्रीय उन्नति से है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वतंत्र भारत में उच्चतर शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ। लेकिन, यह हमारे देश के युवा विद्यार्थियों को जीवन दृष्टि देने या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कितना सफल हो पाया, यह एक मूल प्रश्न है। यह विचारणीय है कि आज भी देश के अधिकांश युवाओं की पहुँच उच्चतर शिक्षा तक नहीं बन पाई है। भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर वर्तमान सकल नामांकन दर मात्र 26 प्रतिशत है जो अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है। वर्ष 2000 में तो यह आँकड़ा 10 प्रतिशत से भी कम था, जबकि अमेरिका में यह 80 प्रतिशत के ऊपर है। इससे प्रतीत होता है कि आगामी समय में उच्चतर शिक्षा के विकास को गति देने के लिए हमें कई स्तरों पर कार्य करने होंगे।

उदाहरण के तौर पर गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ भी दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिग बहुत नीचे है। यह पूरा संदर्भ, भारत में उच्चतर शिक्षा की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। इसलिए भारतीय उच्चतर शिक्षा में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। हम बीसवीं सदी

**असिस्टेंट प्रोफेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, शिक्षा पीठ, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार 824236

© NCERT not to be republished

से अब इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए, इस सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए ही उच्चतर शिक्षा के भावी विकास का रोडमैप बनाया जाना चाहिए, जिसकी सार्थक रूपरेखा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में प्रस्तुत की गई है। इस लेख में भारतीय उच्चतर शिक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की गई है, लेकिन उससे पहले भारत में उच्चतर शिक्षा का विकास कैसे हुआ है? हमारी उपलब्धियाँ क्या रहीं? पहले किस तरह की नीतियाँ बनीं? कौन-सी चुनौतियाँ रहीं? यहाँ पर इन सबकी एक संक्षिप्त चर्चा करना जरूरी है, ताकि उच्चतर शिक्षा को लेकर हमारी समझ को ऐतिहासिक आधार मिल सके।

अतीत में उच्चतर शिक्षा का विकास

अतीत में देखे तो भारत में उच्चतर शिक्षा के कई उत्साही साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन भारत में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और वल्लभी जैसे विश्व-स्तरीय संस्थान रहे हैं, जहाँ अध्ययन के विविध क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा और शोध की समृद्ध व्यवस्था के स्थूल प्रमाण मिलते हैं। इन संस्थानों ने भारतीय दर्शन और संस्कृति को सहेजने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इनसे संबंधित विद्वानों ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे— गणित, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, भवन निर्माण, योग, कला, साहित्य आदि में प्रामाणिक तौर पर मौलिक योगदान दिया, जो ऐतिहासिक कालखंड के अनुसार प्रगतिशील उपलब्धियाँ हैं। इस गौरवमयी ऐतिहासिक स्मृति के बिना भारत की उच्चतर शिक्षा की व्याख्या अधूरी है। आगे बढ़ें तो इनके बाद भी देशज शिक्षा में उच्चतर शिक्षा के कई केंद्र छुट-पुट तौर पर अठारहवीं शताब्दी तक विद्यमान मिलते हैं।

फिर उन्नीसवीं शताब्दी के औपनिवेशिक भारत में उच्चतर शिक्षा के मैकालीयन युग की शुरुआत होती है। जिसके तहत भारत में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि नगरों में ब्रिटेन की तर्ज पर विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। ब्रिटिश, सन् 1857 के बाद चार विश्वविद्यालयों की संकल्पना लेकर आए, जिनके विस्तार को 1857 से 1882 तथा 1882 से 1902 के दो कालखंडों में देखा जा सकता है। यहाँ 1882 एक विभाजक वर्ष इसलिए है क्योंकि इसी वर्ष भारत की शिक्षा पर सबसे पहला आयोग 'हंटर कमीशन' की रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर आगे की उच्चतर शिक्षा को दिशा मिली। आगे 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आया। उसके पश्चात् 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया। इसके बाद 1913 में ब्रिटिश शिक्षा नीति पर जमीनी रिपोर्ट आई तथा 1916 में फिर एक विश्वविद्यालय आयोग आया। इसके पश्चात नए विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। इसके साथ ही, परतंत्र भारत में उच्चतर शिक्षा के स्वदेशी संस्थानों की भी स्थापना हुई, जिसमें गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आदि प्रमुख हैं। इन सबका अध्ययन 1948–49 में उच्चतर शिक्षा पर बने राधाकृष्णन आयोग द्वारा किया गया तथा इस आयोग द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए उच्चतर शिक्षा की आगामी रूपरेखा प्रस्तुत की गई (सैनी, 1992)।

इस आयोग की संस्तुति पर, 1956 में संसद द्वारा एक कानून पास कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य उच्चतर शिक्षा का समन्वय करना, इसके स्तर को बनाए रखना, विकास की निगरानी

© NCERT not to be republished

और उच्चतर शिक्षा को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना था। हमारे देश में 1956 में करीब 30 विश्वविद्यालय थे, जो वर्तमान में बढ़कर 700 से अधिक हो गए हैं और लगभग 40 हजार कॉलेज हैं। संख्यात्मक विकास के नजरिये से यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन गुणवत्ता और मानक के आधार पर उनमें कई कमियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें से योग्य अध्यापकों की कमी, विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात का असंतुलन, स्तरहीन पाठ्यक्रम, कमजोर अवसंरचना आदि हैं। परंतु, सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि आजादी के बाद, उच्चतर शिक्षा को लेकर जो नीतियाँ बनीं और उन पर जो काम हुए, उन्होंने पूर्ववर्ती मैकालीयन व्यवस्था से हटकर, नए सिरे से उच्चतर शिक्षा को गढ़ने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भारतीय विश्वविद्यालयों के मानस पर और गहरा होता गया। यह समस्या आज उच्चतर शिक्षा में ज्ञान निर्माण के स्तर पर भाषायी वर्चस्व का रूप ले चुकी है। साथ ही, आजाद भारत से अब तक उच्चतर शिक्षा एवं शोध पर निवेश किए जाने वाले बजट की कमी भी एक प्रमुख चुनौती रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में शोध पर केवल 0.8 फीसदी खर्च हो रहा है, जबकि कम-से-कम दो फीसदी खर्च होना चाहिए।

इस तरह यदि भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास को देखें तो यह प्रतीत होता है कि देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने उच्चतर शिक्षा की उन जटिलताओं और चुनौतियों को बखूबी पहचाना है और उनकी वास्तविक स्थिति को स्वीकारा है। इस नीतिगत दस्तावेज के नौवें अध्याय में भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भारत में उच्चतर शिक्षा का तंत्र बहुत ही खंडित स्थिति में है, जिसके कारण उच्चतर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तारतम्यता की भारी कमी है। मौजूदा तंत्र में संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के प्रतिफलों पर कम बल है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से पढ़कर निकले विद्यार्थी कितने कुशल हो पा रहे हैं? और उनके पास उपयोगी ज्ञान कितना है? इसके प्रति उच्चतर संस्थानों में उदासीनता है। कई संस्थानों के पाठ्यक्रम पिछले तीस सालों से अद्यतन नहीं हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने के बावजूद हम बीसवीं सदी की शिक्षा पर ही अटके हुए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा का दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्चतर शिक्षा में विषयों के कठोर विभाजन तथा विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं से ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देने की प्रवृति को भी उठाया है। इसके साथ ही, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की पहुँच सीमित होना भी एक मुख्य चुनौती है, जिसका समाधान किए बगैर सकल नामांकन दर को बढ़ा पाना कठिन है। इसके लिए, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थानीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा की अनुपलब्धता को विशेष कारण माना है। सीमित अध्यापक और संस्थागत स्वायत्तता के प्रश्न को भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* द्वारा उठाया गया है। वह यह भी मानती है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में योग्यता आधारित करियर प्रबंधन और

© NCERT not to be republished

संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं की प्रगति के लिए विद्यमान तंत्र पर्याप्त नहीं है, जिसे अच्छी तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यह चिंतनीय है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर नगण्य बल दिया जा रहा है और जो शोध हो भी रहे हैं, उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता संदेहास्पद है। इसका एक कारण संस्थानों के पास शोध निधियों की अनुपलब्धता का होना भी है।

इसके साथ ही, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता के अभाव की समस्या भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बताई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देश में उच्चतर शिक्षा के अप्रभावी विनियामक प्रणाली को एक बड़ी चुनौती मानती है, जिसके कारण कई निम्न मानक वाले संबद्ध विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का जाल समूचे देश में फैल चुका है। जिनपर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन है और उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करना उससे भी अधिक कठिन है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में उच्चतर शिक्षा की इन विकट चुनौतियों एवं समस्याओं के समाधान के लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* अपने अध्याय नौ तथा दस में कई उपायों की चर्चा करती है, जिनमें से कुछ प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण इस लेख में शामिल किया गया है।

इस नीति में उच्चतर शिक्षा की भावी संरचना के नए विजन की व्याख्या भी स्पष्ट तौर पर दी गई है। यह नीति उच्चतर शिक्षा के तंत्र में केवल सुधार ही नहीं, बल्कि बड़े बदलाव के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार, समूची उच्चतर शिक्षा का लक्ष्य एक एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर, दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था शामिल होगी। इस प्रकार समावेशी उच्चतर शिक्षा तंत्र के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और हायर एजुकेशन 'इंस्टीट्यूशन क्लस्टरों' या 'नॉलेज हबों' में स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। यह एक बड़ा कदम है जो वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संपूर्ण चरित्र को सकारात्मक तौर पर परिवर्तित करेगा। यदि ऐसा वास्तविक स्वरूप में क्रियान्वित हुआ तो बहु-विषयक अध्ययन के विभिन्न लाभों एवं उत्पादक परिणामों का असर विद्यार्थियों के विकास पर पड़ेगा, जिससे वे ज्यादा विस्तृत ज्ञान एवं समझ के साथ आगे बढ़ पाएँगे। अगर हम और आगे बढ़ें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल देती है।

यह नीति इस बात पर भी जोर देती है कि उच्चतर शिक्षा के इस विजन के लिए विशेष रूप से एक नई वैचारिक समझ की जरूरत होगी, जिसमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन) अर्थात् एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। नीति के अनुसार व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है, उच्चतर शिक्षा का एक बहु-विषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच.डीकार्यक्रम संचालित करता है और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण एवं अनुसंधान करता है। अभी देश में उच्चतर शिक्षा संस्थान (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन) का जटिल नामकरण 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' है, जिसे मानकों के अनुसार मानदंड को पूरा करने पर केवल

© NCERT not to be republished

'विश्वविद्यालय' के नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। साथ ही, यह भी उल्लेख है कि भविष्य में इस तरह के कई संस्थान होंगे जो शिक्षण और शोध को बराबर महत्व देने वाले होंगे, जैसे— 'शोध-गहन विश्वविद्यालय' और 'शिक्षण-गहन विश्वविद्यालय'। ऐसा होने से विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उनकी भूमिका के अनुसार उनके कार्यों को आकार देने में सुविधा होगी।

इसी प्रकार नीति में विश्वविद्यालय स्तर पर कुछ 'संरचनात्मक सुधार' की बात भी की गई है— जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर अधिकतम प्रोग्राम इंटीग्रेटेड मोड में होंगे। इसमें 'मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम' की व्यवस्था लाने पर गंभीर कदम उठाने की बात कही गई है अर्थात् अगर कोई विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसे वहाँ तक के अध्ययन के लिए एक प्रमाण-पत्र मिल सकेगा। उदाहरण के लिए, वर्तमान में अगर जॉब लगने या किसी अन्य कारण से कोई विद्यार्थी अपने ग्रेजुएशन कोर्स के तीन वर्ष में से दो वर्ष ही पूरे कर पाता है तो उसे दो वर्ष में अर्जित उपलब्धि की कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन 'मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम' की भावी व्यवस्था में यह संभव है कि विद्यार्थी जितना समय ज्ञान अर्जित करेगा उसे उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो कि वैध होगा। इससे विद्यार्थियों द्वारा उच्चतर शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने से होने वाले अकादमिक नुकसान को प्रभावी तौर पर कम किया जा सकेगा, जो विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय, दोनों के हित में होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन) पर भी बल देती है। नीति में एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित करने की बात कही गई है। साथ ही, मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर पर जरूरी न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए महाविद्यालयों को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी। नीति की यह कल्पना है कि कालांतर में धीरे-धीरे सभी महाविद्यालय या तो डिग्री करने वाले स्व-विद्यालय बन जाएँगे या किसी विद्यालय के अंग के रूप में विकसित होंगे। इस प्रकार वे विश्वविद्यालय के अंग के रूप में पूर्ण रूप से उसका हिस्सा होंगे। अगर वे चाहें तो उपयुक्त मान्यता के साथ, स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज, अनुसंधान-गहन या शिक्षण-गहन विश्वविद्यालयों में विकसित हो सकते हैं। नीति यह रेखांकित करती है कि इन तीन प्रकार के संस्थानों का वर्गीकरण एक स्पष्ट और अलग-अलग श्रेणियाँ न होकर निरंतरता के साथ हो। संस्थानों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता होगी। फिर भी, सभी प्रकार के संस्थानों में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण-अधिगम अपेक्षाएँ समान होंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अन्य लक्ष्य 2040 तक उच्चतर शिक्षा में, विद्यार्थियों के कुल नामांकन दर (ग्रोस एनरोलेमेन्ट रेट) को 50 प्रतिशत तक ले जाने का है। यह एक महत्वकांक्षी लक्ष्य है और अगर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कम-से-कम 3000 विश्वविद्यालय चाहिए। इसके लिए वंचित क्षेत्रों में उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित और विकसित किए जाएँगे। नीति में यह निश्चय किया गया है कि 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम-से-कम एक

© NCERT not to be republished

बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा, जिसमें पढ़ाई का माध्यम स्थानीय या भारतीय भाषा या द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई नए संस्थानों के विकास के साथ-साथ मौजूदा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने पर भी समान ध्यान दिया जाएगा। इस संदर्भ में नीति द्वारा सुझाए गए 'क्लसटरिंग ऑफ कॉलेजिस' का विचार अनुकरणीय है।

नामांकन के 50 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुँच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने एवं जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने हेतु मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन कोर्सों को संचालित करने का अवसर भी होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो। नीति यह स्पष्ट करती है कि दूरस्थ शिक्षा के कोर्सों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा तथा मान्यता प्राप्त बेहतरीन संस्थानों को उच्चतम गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कोर्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोर्सों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाएगा और इस प्रकार पाठ्यक्रमों के मिश्रित स्वरूपों को वरीयता दी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आगे 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (एन.आर.एफ.) की चर्चा करती है, जो कि एक स्वायत्त निकाय होगा। इस नीति में बताया गया है कि पूर्व में कार्यरत सभी एजेंसियाँ आगे भी कार्य करती रहेंगी, लेकिन ये एन.आर.एफ. के साथ समन्वय करेंगी ताकि कार्यों का दोहराव न हो। इन सब प्रयासों के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय, बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में तैयार हो पाएँगे। नीति के अनुसार, शिक्षा और शोध के अलावा उच्चतर शिक्षा संस्थान अन्य महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ भी निभाएँगे, जैसे— अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान को विकसित और स्थापित करने में सहयोग, सामुदायिक सहभागिता और सेवा, कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए प्राध्यापकों की योग्यता का विकास और स्कूली शिक्षा में योगदान आदि। इस प्रकार *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अतीत के कई अप्राप्य लक्ष्यों तथा अनेक नई आकांक्षाओं की छवि दिखती है।

समेकन

उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में जिन कुछ बिंदुओं की चर्चा इस लेख में की गई है, उससे यह साफ प्रतीत होता है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* वास्तव में एक महत्वाकांक्षी नीति है, जो उच्चतर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन करती है। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का होना हमारे देश के विकास की पूर्व शर्त है। ऐसी शिक्षा का मूल उद्देश्य, अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना है। इस प्रकार, उच्चतर शिक्षा के नए स्वरूप में एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन अध्ययन करने और विभिन्न विषयों में इक्कीसवीं सदी की क्षमताओं को विकसित करने के भरपूर अवसर मिलेंगे।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 1950. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग—1948–49. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

सैनी, शिव कुमार. 1992. *डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया*. कोस्मो पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished